ए०एफ०आर०

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 112/2010

1. अर्जुन दुबे (मृत्यु) विधिक प्रतिनिधि के माध्यम सेः–

(क) रामलाल दुबे पिता स्वर्गीय अर्जुन दुबे, उम्र लगभग 46 वर्ष,
(ख) श्रीचंद दुबे पिता स्वर्गीय अर्जुन दुबे, उम्र लगभग 32 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम परसडीहा थाना चलगली, तहसील वाड्रफनगर, जिला–बलरामपुर, छत्तीसगढ़ ।

---- अपीलकर्तागण/वादीगण

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. अमरनाथ पिता जागेश्वर, उम्र लगभग 35 वर्ष,
2. वेदांती पिता श्यामसुंदर, उम्र लगभग 40 वर्ष,
3. विंध्याचल पिता जागेश्वर, उम्र लगभग 55 वर्ष,
4. शम्भू पिता गिरधर, उम्र लगभग 38 वर्ष,
5. श्रीमन पिता रामसुंदर उम्र लगभग 55 वर्ष,
6. भुनेश्वर (मृत) विधिक प्रतिनिधिः–

    1. श्रीमती सरिता पति स्व० भुनेश्वर उम्र लगभग 40 वर्ष,
    2. सरम्भ बाबू पटेल पिता स्व० भुनेश्वर उम्र लगभग 21 वर्ष,
    3. कान्हा बाबू पटेल पिता स्व० भुनेश्वर उम्र लगभग 19 वर्ष, सभी निवासी ग्राम परसडीहा थाना चलगली तहसील वाड्रफनगर जिला– बलरामपुर रामानुजगंज छ०ग० ।

7. जवाहर पिता रामसहाय उम्र लगभग 55 वर्ष,
8. रामसुशील पिता जयकेशवर उम्र लगभग 55 वर्ष,
9. रामस्नेही पिता कालिका प्रसाद उम्र लगभग 55 वर्ष,
10. चतुर्गुण पिता जयकेशवर उम्र लगभग 55 वर्ष,
11. हरदेव पिता ठकुरी उम्र लगभग 40 वर्ष,
12. हीरालाल पिता प्रभाष उम्र लगभग 40 वर्ष,
13. जवाहर पिता प्रभाष उम्र लगभग 45 वर्ष,
14. भैयाराम पिता जागेश्वर (मृत) के विधिक प्रतिनिधिः–

1. श्रीमती सरोज पति स्व० भैयाराम उम्र लगभग 38 वर्ष,
2. अंकुर कुमार पटेल पिता स्व० भैयाराम उम्र लगभग 22 वर्ष, दोनों निवासी निवासी ग्राम परसडीहा थाना चलगली तहसील वाड्रफनगर जिला–बलरामपुर रामानुजगंज छ०ग० ।

---- प्रतिवादी

अपीलकर्तागण की ओर से –श्री ए०एन० पाण्डेय, अधिवक्ता ।
उत्तरवादीगण की ओर से –श्री हरिओम राय, अधिवक्ता ।
राज्य द्वारा श्री रवि भगत डी० जी० ए० ।

माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के० अग्रवाल

बोर्ड पर निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12/01/2021

1. अपीलार्थी/वादी (अब,उनके विधिक प्रतिनिधि) द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय अपील निम्नलिखित दो विधि के सारवान प्रश्नों पर सुनवाई के लिए स्वीकार की गई है:–

"(1) क्या निम्न अदालतों ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 के तहत वादी के वाद को खारिज करके विधिक त्रुटि की है ?

(2) क्या निम्न अदालतों का यह मानना न्यायोचित है कि वादी का वाद, छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 257 के अंतर्गत वर्जित है ?

(इसके बाद पक्षकारों को विचारण न्यायालय के वाद पत्र में उनको दी गयी स्थिति एवं दर्शाई गयी क्रमांक के अनुसार संदर्भित किया जाएगा)

2. वाद भूमि खसरा नंबर 219/4 का रकबा 1.131 हेक्टेयर, खसरा नंबर 219/1 के कुल क्षेत्रफल 4.407 हेक्टेयर भूमि का हिस्सा है । उक्त वाद भूमि निंविवादित रूप से शासकीय भूमि है जिसे छत्तीसगढ़ भू–

राजस्व संहिता 1959 की धारा 237(1) के प्रावधानों के तहत सक्षम प्रधिकारी द्वारा चारागाह के लिए आरक्षित/चिन्हांकित किया गया है ।

3. मूल वादी अर्जुन दुबे अर्थात अपीलार्थीयों के पिता ने उपखंड अधिकारी (राजस्व) रामानुजगंज के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह भी कहा कि यद्यपि खसरा क्रमांक 219/1 की भूमि जिसका रकबा 4.407 हेक्टेयर है, शासन द्वारा चारागाह के प्रयोजन हेतु आरक्षित है, चूंकि वे विगत 35 वर्षों से उक्त भूमि के 1.131 हेक्टेयर पर खेती करते आ रहा हैं, इसलिए उक्त भूमि का निर्धारण उसके पक्ष में किया जाए, जिसकी जांच उपखंड अधिकारी राजस्व ने की और अंततः भू–राजस्व संहिता की धारा 237(2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए दिनांक 05.10.1982 के आदेश के तहत वाद की भूमि को निस्तार पत्र से हटा दिया और उसे कृषि भूमि के रूप में उपयोग के लिए खुला कर दिया और इस तरह उसे वादी के पक्ष में निर्धारित कर दिया । बाद में कलेक्टर, सरगुजा को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने मामले को स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में लिया और दिनांक 10.02.1986 के आदेश (एक्स०पी/5) के तहत उपखंड अधिकारी के दिनांक 05.10.1982 के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उक्त भूमि को चारागाह के प्रयोजन के लिए आरक्षित घोषित कर वादी के पक्ष में निर्धारित कर दिया गया था । वादी ने पुनरीक्षण के माध्यम से आयुक्त के समक्ष आदेश को चुनौती दिया लेकिन वह असफल रहा जिसके कारण वादी ने स्वत्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद दायर किया, जिसमें कहा गया कि वह वाद भूमि पर स्थापित कब्जे में है और कलेक्टर (एक्स०पी/5) का,उपखंड अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का आदेश स्थिर रखने योग्य नहीं है और कानून की दृष्टि से खराब है, इस प्रकार, वह स्वामित्व की घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री का हकदार है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. मुकदमे के पहले दौर में, छत्तीसगढ़ राज्य एकपक्षीय रहा और विचारण न्यायालय द्वारा एकपक्षीय डिक्री दी गई, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया और राज्य और अन्य प्रतिवादियों को अवसर देने के बाद मामले को नए सिरे से तय करने के लिए विचारण न्यायालय को भेज दिया गया । मुकदमे के दूसरे दौर में, विद्वान विचारण न्यायालय ने इस बारे में वाद प्रश्न बनाया कि क्या सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र वर्जित है और अंततः अपने निर्णय और डिक्री दिनांक 10.12.1999 के माध्यम से, यह कहते हुए वाद खारिज कर दिया,कि सिविल कोर्ट का अधिकार क्षेत्र भूमि राजस्व संहिता की धारा 237(2) द्वारा वर्जित है ।

5. सीपीसी की धारा 96 के तहत वादी द्वारा अपील किये जाने पर, विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी वाद पर विचार करने बाद सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संबंध में विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज किये गये निष्कर्ष से सहमति व्यक्त की और अपने दिनांक 21.10.2010 के निर्णय और डिक्री द्वारा अपील को खारिज कर दिया, जिसके खिलाफ अपीलकर्ता/वादी (अब उनके विधिक प्रतिनिधित्व) द्वारा सी०पी०सी० की धारा 100 के तहत यह द्वितीय अपील की गई है जिसमें विधि के दो सारवान प्रश्न पहले ही तैयार किए जा चुके हैं तथा निर्णय के आरंभिक पैराग्राफ में उन्हें प्रस्तुत किया जा चुका है ।

6. अपीलकर्ता/वादी (अब उनके विधिक प्रतिनिधित्व) की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ए०एन० पांडे ने प्रस्तुत किया कि दोनों निम्न अदालतों द्वारा वादी के मुकदमे को खारिज करने में पूर्णतः अनुचित निर्णय लिया गया हैं, क्योंकि उनका निष्कर्ष विकृत है तथा अभिलेख के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि वादी द्वारा तैयार तथा दायर किया गया मुकदमा पोषणीय नहीं है तथा भूमि राजस्व संहिता की धारा 237(2) के तहत सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार वर्जित है तथा अन्यथा भी, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वादी ने प्रतिकूल कब्जे के माध्यम से मुकदमे की भूमि पर अपना स्वामित्व पूर्ण कर लिया है, ऐसे में दोनों निम्न अदालतों के निर्णय तथा डिक्री को अपास्त किया जाना चाहिए तथा वादी के दावे को उनके पक्ष में विधि के प्रश्न का उत्तर देकर डिक्री किया जाना चाहिए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री हरिओम राय, साथ ही राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप सरकारी अधिवक्ता श्री रवि भगत, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और डिक्री का समर्थन किया है, जिसमें प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय और डिक्री की पुष्टि की गई है और यह प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर, सरगुजा ने उपखंड अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 05.10.1982 के आदेश को सही रूप से निरस्त किया है, जिसमें मूल रूप से चारागाह के लिए आरक्षित वाद भूमि को अवैद्य घोषित कर दिया गया था, क्योंकि भूमि राजस्व संहिता की धारा 237(2) में निहित प्रावधानों के तहत भूमि के उद्देश्य को बदलने के लिए सक्षम प्रधिकारी केवल कलेक्टर है, इस प्रकार, उपखंड अधिकारी का आदेश पूरी तरह से क्षेत्राधिकार से बाहर था तथा इसे कलेक्टर द्वारा दिनांक 10.02.1986 के आदेश (प्रदर्श पी/5) के तहत सही रूप से निरस्त कर दिया गया था तथा भूमि राजस्व संहिता की

धारा 237 (2) में निहित प्रावधानों के आधार पर, वादी के वाद को स्वीकार करने के लिए सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से वर्जित है, इस प्रकार, द्वितीय अपील खारिज किए जाने योग्य है ।

8. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्तओं को सुना है, उनके ऊपर दिए गए प्रतिद्वंदी निवेदनों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है ।

9. इसमें कोई विवाद नहीं है कि वाद भूमि खसरा संख्या 219/4 क्षेत्रफल 1.131 हेक्टेयर, भूमि खसरा संख्या 219/1 कुल क्षेत्रफल 4.407 हेक्टेयर का हिस्सा है जो निंविवादित रूप से शासकीय भूमि है जो कि भूमि राजस्व संहिता की धारा 237(1) के अन्तर्गत चारागाह के प्रयोजन के लिए अधिसूचित है, को वादी ने अपने प्रयोजन के लिए निर्धारित करने हेतु उपखंड अधिकारी के समक्ष आवेदन किया था, क्योंकि वादी का मामला यह है कि उसने वाद भूमि को कृषि योग्य बना लिया है तथा पिछले कई वर्षों से कृषि प्रयोजन के लिए उसका उपयोग कर रहा है जिसे अंततः उपखंड अधिकारी ने विधि के प्राधिकार के बिना, भूमि राजस्व संहिता की धारा 237(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 05.10.1982 के आदेश द्वारा प्रदान कर दिया था, किन्तु कलेक्टर ने प्रदर्श पी/5 के माध्यम से उपखंड अधिकारी के आदेश को यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि उसे (उपखंड अधिकारी को) भू– राजस्व संहिता की धारा 237(2) के अन्तर्गत चारागाह के परियोजन की भूमि के उद्देश्य को परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार नहीं है और केवल कलेक्टर को भू– राजस्व संहिता की धारा 237(2) के अन्तर्गत भूमि के प्रयोजन को परिवर्तित करने का क्षेत्राधिकार एवं शक्ति है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. भू–राजस्व संहिता की धारा 233 और 234 में निम्नानुसार उल्लेख हैः–

"233. **दखलरहित भूमि का अभिलेख**– समस्त दखलरहित भूमि का अभिलेख इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार, प्रत्येक ग्राम के लिए तैयार किया जाएगा तथा रखा जाएगा जिसमें –

(क) धारा 237 के अधीन निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई दखलरहित भूमि पृथक्तः दर्शाई जाएगी ।

(ख) म०प्र० अधिनियम संख्या 25, 1964 द्वारा 23.04.1964 से विलोपित ।

"234. **निस्तार–पत्रक का तैयार किया जाना–** (1) (उपखण्ड अधिकारी) इस संहिता तथा इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से संगति रखते हुए एक निस्तार–पत्रक तैयार करेगा, जिसमें किसी ग्राम में की समस्त दखलरहित भूमि के प्रबंध की स्कीम तथा उससे आनुषंगिक समस्त विषय और विशिष्टतः धारा 235 में विनिर्दिष्ट विषय सन्निविष्ट होगें ।

(2) निस्तार पत्रक का प्रारूप, ग्राम में प्रकाशित किया जायेगा और ग्राम सभा की इच्छओं को विहित रीति में अभिनिश्चित करने के पश्चात, उसे उप–खण्ड अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जायेगा ।

(3) ग्राम सभा द्वारा अनुरोध किए जाने पर, या जहां ग्राम सभा नहीं हैं, वहां गांव के कम से कम एक–चौथाई वयस्क निवासियों के आवेदन पर, या स्वप्रेरणा से,(उपखंड अधिकारी) किसी भी समय निस्तार पत्रक में किसी प्रविष्टि को ऐसा जांच के बाद संशोधित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. भू–राजस्व संहिता की धारा 233 का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने से पता चलता है कि प्रत्येक गांव के लिए खाली भूमि का अभिलेख तैयार किया जाएगा और उसे बनाए रखा जाएगा, जिसमें खाली भूमि को धारा 237 के अंतर्गत निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए अलग से दर्शाया जायेगा । इसी प्रकार भू–राजस्व संहिता की धारा 234 में निस्तार पत्रक का प्रावधान है । उपधारा (1) के अनुसार उपखंड अधिकारी को निस्तार पत्रक तैयार करने की शक्ति दी गई है, जिसमें गांव की समस्त खाली पड़ी भूमि एवं उससे संबंधित सभी मामलों को और विशेष रूप से धारा 235 में निर्दिष्ट मामलों के प्रबंधन की योजना शामिल होगी । यह शक्ति मूल रूप से कलेक्टर में निहित थी, लेकिन संशोधन अधिनियम संख्या 24, 1961 की धारा 4 के अनुसार यह शक्ति उपखंड अधिकारी को दी गई है । उपधारा (2) में यह बताया गया है कि निस्तार पत्रक का प्रारूप गांव में प्रकाशित होने के पश्चात तथा गांव के निवासियों की निर्धारित तरीके से इच्छा जानने के पश्चात उपखंड अधिकारी द्वारा निस्तार पत्रक को अंतिम रूप कैसे दिया जाएगा । उपधारा (3) में यह बताया गया है कि निस्तार पत्रक में प्रविष्टि को किस प्रकार संशोधित किया जाएगा । इसमें प्रावधान है कि संशोधन के लिए आवेदन ग्राम सभा द्वारा या जहां ग्राम सभा नहीं हैं, वहां गांव के कम से कम एक–चौथाई वयस्क निवासियों द्वारा किया जा सकता है । उपखंड अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से शुरू किया जा सकता है ।

12. भू–राजस्व संहिता की धारा 235 में निस्तार पत्रक में दिए जाने वाले विषयों का प्रावधान है तथा धारा 236 में प्रावधान है कि धारा 235 में दिए गए अनुसार निस्तार पत्रक तैयार करते समय कलेक्टर यथासंभव (क) कृषि के लिए उपयोग में लाये जाने वाले पशुओं को निःशुल्क चरने के लिए तथा(ख) और (ग) भी निस्तार पत्रक में दिए जाने वाले विषयों का प्रावधान करता है । इस प्रकार धारा 235 और 236 को एक साथ पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व धारा के अंतर्गत दिए गए कुछ विषयों का प्रावधान निस्तार पत्रक में आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए । भू–राजस्व संहिता के तीनों उपबंध 234, 235 एवं 236 को संयुक्त रूप से पढ़ा जा सकता है तथा धारा 236 में दिए गए कलेक्टर द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति का प्रयोग सीमित प्रयोजन के लिए ही किया जा सकता है ।

13. इस स्तर पर छत्तीसगढ़ भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 (1) एवं (2) पर ध्यान देना उचित होगा, जिसमें निम्नानुसार उल्लेख है:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"237 **निस्तार– अधिकारो के प्रयोग के लिए कलेक्टर द्वारा भूमि का पृथक रखा जाना**– (1) इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों के अध्यधीन रखते हुए, कलेक्टर दखलरहित भूमि को निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए पृथक रख सकेगा अर्थात्:–

(क) इमारती लकड़ी या ईंधन भंडार के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए ,

(ख) चारागाह, घास ,बीड़ या चारे के लिए आरक्षित क्षेत्र के लिए ,

(ग) कब्रस्तान तथा श्मशान भूमि के लिए ,

(घ) गौठान के लिए,(और गौशाला तथा एनीमल होल्डिंग प्रेमिसेस की स्थापना के लिये)

(ड़) शिविर भूमि के लिए,

(च) खलिहान के लिए ,

(छ) बाजार के लिए,

(ज) खाल निकालने के स्थान के लिए,

(झ) खाद के गढ्डों के लिए,

(ञ) पाठशालाओं, खेल के मैदानों, उद्यानों, सड़कों, गलियों, नालियों जैसे तथा उसी प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिए ,

(ट) किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए जो निस्तार के अधिकार के

अधिकार के प्रयोग के लिए विहित किए जाएँ ।

(2) उपधारा (1) में वार्णित प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अलग रखी गई भूमि को कलेक्टर की मंजूरी के बिना अन्यथा डायवर्ट नहीं किया जाएगा ।

14. उपयुक्त प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह पता चलेगा कि भू–राजस्व संहिता की धारा 237 के तहत खाली पड़ी भूमि समक्ष प्रधिकारी यानी कलेक्टर द्वारा विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित की जाती है और संहिता की धारा 237(2) के आधार पर, धारा 237(1) के तहत किसी विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित किसी भी भूमि को कलेक्टर की मंजूरी के बिना डायवर्ट नहीं किया जा सकता हैं, क्योंकि धारा 237(1) के तहत किसी विशेष उद्देश्य के लिए आरक्षित भूमि को डायवर्ट करने की शक्ति केवल कलेक्टर के पास है।

15. संहिता की धारा 237(2) में प्रावधान है कि धारा 237 की उपधारा (1) में वर्णित किसी प्रयोजन के लिए विशेष रूप से अलग रखी गई भूमि कलेक्टर की स्वीकृति के बिना डायवर्ट नहीं की जाएगी ।

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. अब विचारणीय प्रश्न यह होगा कि क्या संहिता की धारा 237 (1) में वर्णित विशिष्ट प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि कलेक्टर की स्वीकृति के बिना कृषि प्रयोजन/खेती के लिए डायवर्ट की जा सकती है ?

17. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के डिविजन बैंच ने **अमरसिंह बनाम रगुवीर सिंह** 1 1980 RN 6 के मामले में स्पष्ट रूप से माना है कि इस संदर्भ में धारा 237 की उपधारा (2) द्वारा परिकल्पित डायवर्जन उपधारा (1) में वर्णित प्रयोजनों से परस्पर संबंधित है न कि खेती के उपयोग में डायवर्जन । माननीय न्यायाधीशों ने आगे कहा कि धारा 237 की योजना गैर–कृषि उद्देश्यों के लिए खाली भूमि को अलग करने से संबंधित है और डायवर्सन केवल ऐसे उद्देश्य के लिए संदर्भ में है ।

18. वर्तमान मामले में, भू–राजस्व संहिता की धारा 237(1) के तहत चारागाह के लिए आरक्षित वाद भूमि को कृषि प्रयोजन के लिए व्यपवर्तित किया गया था और उपखंड अधिकारी द्वारा दिनांक 05.10.1982 को वादी के पक्ष में आदेश किया गया था । आदेश पत्रक को संहिता की धारा 234 के अनुसार उपखंड अधिकारी द्वारा जांच के बाद ही संशोधित किया जा सकता है और उसके बाद ही उद्देश्य बदला जा सकता है । वर्तमान मामले में हालांकि

अनुविभागी अधिकारी के समक्ष आवेदन किया गया था, लेकिन न तो ग्राम सभा और न ही गांव के एक–चौथाई वयस्क निवासियों और न तो उपखंड अधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा से चारागाह भूमि के रूप में अलग की गई वाद भूमि के उद्देश्य को बदलने के लिए पहल की गई थी । उप–विभागीय अधिकारी द्वारा ऐसे परिवर्तन करने के लिए कोई जांच नहीं की गई हैं जो संहिता की धारा 234(3) के अंतर्गत आवश्यक है इस प्रकार, उप–विभागीय अधिकारी द्वारा 05.10.1982 को पारित आदेश जो कि प्रत्यक्षः क्षेत्राधिकार के बिना और कानून के प्रधिकार के बिना है,को कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.02.1986(एक्स०पी०/5) द्वारा सही रूप से अपास्त किया जाता हैं ।

19. अब इस प्रश्न पर आते हैं कि क्या सिविल न्यायालय का वादी के दावे पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र वर्जित हैं, जैसे कि नीचे के दो न्यायालयों ने माना हैं ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. भूमि राजस्व संहिता की धारा 273(2) का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि संहिता की धारा 237(1) के तहत किसी विशेष उद्देश्य के लिए अलग रखी गई भूमि के व्यपवर्तन का अनन्यतः अधिकार क्षेत्र केवल कलेक्टर को ही प्रदान किया गया है । कलेक्टर के ऐसे आदेश के विरूद्ध अपील आयुक्त के पास की जा सकती है तथा पुनरीक्षण आदेश के विरूद्ध उच्च अधिकारी अर्थात राजस्व मंडल के समक्ष पुनरीक्षण किया जा सकता है । धारा 257 के तहत निहित प्रावधान के आधार पर, कोई भी सिविल न्यायालय किसी निर्णय या आदेश या किसी अन्य मामले को प्राप्त करने के लिए किए गए किसी भी वाद या आवेदन पर विचार नहीं करेगा, जिसे राजस्व अधिकारी इस संहिता द्वारा तय करने के लिए सशक्त है और संहिता की धारा 257 (डब्ल्यू) में प्रावधान है कि कोई भी सिविल न्यायालय निस्तार पत्रक में किसी भी प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए भी दावे पर क्षेत्राअधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, इस प्रकार, सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से वर्जित किया गया है क्योंकि राजस्व न्यायालय के पास धारा 257(डब्ल्यू) संहिता के अन्यथा भी, वादी ने कलेक्टर द्वारा पारित दिनांक 10.02.1986 (एक्स०पी/5) के आदेश पर सवाल नहीं उठाया है, जिसमें उपखंड अधिकारी के आदेश को निरस्त करते हुए सिविल न्यायालय में उसके पक्ष में चारागाह भूमि से कृषि प्रयोजन के लिए भूमि को परिवर्तित किया गया था और वह अंतिम हो गया है ।

21. परिणाम स्वरूप, दोनों न्यायालयों ने पक्षकारों के अभिवचना पर

सही निष्कर्ष निकाला है कि सिविल न्यायालय को वादी के मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं हैं, क्योंकि कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी के आदेश को निरस्त करने का दिनांक 10.02.1986 (एक्स०पी/5) का आदेश अंतिम हो गया है, क्योकि कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध वादी द्वारा आयुक्त के समक्ष दायर पुनरीक्षण पहले ही खारिज कर दिया गया है और कलेक्टर द्वारा उपखंड अधिकारी के आदेश को निरस्त करने के आदेश की पुष्टि करने वाले आयुक्त के आदेश पर इस प्रकार, मुझे दोनों निचली अदालतों द्वारा र्दज किए गए उपरोक्त निष्कर्ष में कोई विकृति या अवैद्यता नहीं दिखती है ।

22. यह द्वितीय अपील, गुण–दोष से रहित होने के कारण, खारिज किये जाने योग्य है तथा पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है ।

23. तदनुसार डिक्री तैयार की जाए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/–
(संजय के. अग्रवाल)
न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**